भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2060

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

2060. श्री विजय कुमार दूबेः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनएचएआई का विशेषरूप से उत्तर प्रदेश की उन कंपनियों पर जो परियोजना की अंतिम तिथि तक कार्य पूरा नहीं कर रही हैं पर शास्तियां लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अन्य कोई दंड भी प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने में हुए ऐसे विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): महोदय, संबंधित रियायत/अनुबंध समझौते में रियायतग्राही/ठेकेदार की विफलता के कारण समझौते के दायित्वों को पूरा करने में देरी के मामले में शास्ति लगाने/कार्रवाई करने का प्रावधान है। एजेंसियां जो अपने दोषों के कारण उत्तर प्रदेश में समय सीमा में कार्य पूरा नहीं कर पाई हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	**राष्ट्रीय राजमार्ग**	**शास्ति लगायी गयी**
1	रारा 24 बरेली सीतापुर	03.05.2019 को रियायत करार समाप्त
2	रारा 74, बरेली सितारगंज	समाप्त करने के इरादे से 22.10.2018 को नोटिस जारी किया गया है

(ग): गैर-प्रदर्शन के मामले में, फर्म को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे प्रदर्शन मानदंडों को पूरा नहीं करते।

(घ): परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जो परियोजना के निष्पादन में बाधा हैं, को हल करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से बैठकें रियायतग्राही/ठेकेदार के साथ की जाती हैं।

*****